न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

अपील संख्या 109/15 तारीख रजू– 21/09/2015

रामसहाय, घमण्डी, ठण्डी पुत्रान शम्पू जाति माली निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुरसिटी।
––अपीलार्थीगण

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार,गंगापुरसिटी। ––रेस्पो0

अपील संख्या 110/15 तारीख रजू– 21/09/2015

बत्तीलाल, प्रभाती पुत्रान लोहडया जाति माली निवासी खानपुर बडोदा तहसील गंगापुरसिटी।
––अपीलार्थीगण

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार,गंगापुरसिटी। ––रेस्पो0

दिनांक–01/06/2016

निर्णय

उक्त दोनो अपीलो का निर्णय एक साथ किया जा रहा है क्योकि उक्त अपीलाधीन आदेश,अपीलार्थीगण व तथ्य समान ही है।

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार,गंगापुरसिटी द्वारा मिसल संख्या 112/15 मे पारित आदेश दिनांक 31/08/15 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को ग्राम खानपुर बडोदा की आराजी खसरा नम्बर 1002 रकवा 0.03 हैक्टर, 1003 रकवा 0.02 हैक्टर व 1004 रकवा 0.03 हैक्टर किस्म गै0मु0नाला पर संवत 2072 खरीफ मे अनाधिकृत रूप से पक्का निर्माण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने, निर्माण कार्य को ध्वस्त करने व अपीलार्थीगण को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने अपील मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये गलत तथ्यो के आधार पर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थीगण अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज है गै0मु0 नाले की भूमि पर अपीलार्थीगण को अतिकमी माना है जबकि अपीलार्थीगण का खातेदारी भूमि के अलावा गै0मु0नाले की भूमि पर कोई अतिचार नही रहा है पटवारी हल्का ने अपीलार्थीगण के विरूद्व मिथ्या अतिचार की रिपोर्ट व बयान दिये है जिस पर अदालत मातहत ने विश्वास करके उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। विद्वान अपीलार्थीगण ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व न तो मोके की जॉच की है ओर न ही पूर्व निर्णय की पालना मे अपीलार्थीगण को अतिकमित आराजी से भौतिक रूप से बेदखल किया गया है। इन तथ्यो को देखे बिना ही अपीलार्थीगण को अतिकमित आराजी पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त करवाया जावे।

अपील संख्या 109/15 रामसहाय वगै0/सरकार व अपील संख्या 110/15 बत्तीलाल वगै0/सरकार

विद्वान वकील अपीलार्थीगण द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे तर्क दिया कि अपीलार्थीगण को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थीगण का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमिता व अवैधानिकता नही है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनो पक्षो की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का की अपीलार्थीगण के विरूद्व अतिचार की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थीगण को धारा 91(3) का सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने हेतु नियत दिनांक 26/08/15 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर नियत दिनांक को अपीलार्थी रामसहाय व बत्ती अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित हुए है व कथन किया है कि उसके द्वारा अतिचारित भूमि पर अतिचार नही किया है यदि उसका अतिक्रमण पाया जाता है तो वो हटा लेगे व उक्त अतिक्रमियो द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अदालत मातहत द्वारा शपथ पत्र के सत्यापन हेतु मोके की जॉच कर दिनांक 31/08/2015 को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पटवारी हल्का को पाबन्द किया है। दिनांक 31/08/2015 को पटवारी हल्का अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित हुआ है ओर उसने कथन किया है कि अतिचारी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की जॉच हेतु पुनः मोका देखा गया। अतिचारी द्वारा अतिक्रमण नही हटाया है व अतिक्रमण हटा लेने के संबंध मे झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार पटवारी हल्का ने अपने बयानो मे अंकित किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा इसी आराजी पर पूर्व मे अतिचार करने पर अदालत मातहत द्वारा बेदखली का निर्णय पारित किया गया था जिसकी पालना मे अपीलार्थीगण को अतिचारित रकबे से भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पूर्ण जॉच के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नजर नही आती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 31/08/2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01/06/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर